

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 191/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री नवेन्दू बब्बर पुत्र श्री कश्मीरी लाल,
2. श्रीमती मोनिका पत्नी श्री नवेन्दू बब्बर,
निवासीगण : प्लॉट नम्बर 506, विन्दावन टॉवर, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर,
राजस्थान ।
3. श्री राजेश सोनी पुत्र श्री डी. एल. सोनी
निवासी : प्लॉट नम्बर 35, जी-3, सालासर धाम, तिरुपति विहार, गोविन्दपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर,
राजस्थान ।
4. श्री मनिष कुमार पुत्र श्री शिशुपाल,
निवासी : प्लॉट नम्बर 256-के, काला कुआ, अलवर, राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 07.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नवेन्दू बब्बर पुत्र श्री कश्मीरी लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 4, श्री रामदेव नगर एट लालचन्दपुरा रोड, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज को बन्धक रख कर 28,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.01.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिस्ट्रेट
) जयपुर

3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 28,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 20,09,478/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.01.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नवेन्दू बब्बर पुत्र श्री कश्मीरी लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 4, श्री रामदेव नगर एट लालचन्दपुरा रोड़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
 7/12/21
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर